

कार्यालय- जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक- 83 कोरोना / दो-12-11 / 2020 जबलपुर, दिनांक-16 मई 2021

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जबलपुर के सशोधित आदेश क्रमांक 3833/एस डब्ल्यू / 2021 जबलपुर दिनांक 16.05.2021 के द्वारा संपूर्ण जबलपुर नगर निगम एवं छावनी परिषद जबलपुर की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत दिनांक 17.05.2021 के प्रातः 06.00 बजे से दिनांक 24.05.2021 के प्रातः 06.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू (टोटल लॉकडाउन) बढ़ाया/घोषित किया गया है, तथा नगर निगम एवं छावनी परिषद जबलपुर सीमा अंतर्गत समस्त शासकीय, अधशासकीय, अशासकीय कार्यालय एवं प्रतिष्ठान को बंद किया गया है।

अतः जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के उपरोक्त आदेश तथा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र (SOP) क्रमांक ए/113 दिनांक 15.01.2021 एवं पूर्व में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में विशेष आकरिमक आपात-कालीन व्यवस्था में जमानत आवेदन पत्रों, सिविल एवं क्रिमीनल सबंधी मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु निम्नानुसार न्यायाधीशगण को अधिकृत किया जाता है एवं यह भी निर्देशित किया जाता है, कि विडियो कांफेरेंस के माध्यम से सुनवाई करेंगे एवं प्रत्येक न्यायाधीश समय 11:00 बजे से 02:00 बजे एवं 2:30 बजे से 05:00 तक कार्य करेंगे-

मुख्यालय जबलपुर हेतु

क्र	नाम अधिकारी	दिनांक	रिमांक
01	"अ"- श्री एस. सी. शर्मा 17 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर "ब"- श्री प्रति जिवता 18 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर	17.05.2021	1. अर्जेंट जमानत आवेदन पत्र के निराकरण 2. सिविल एवं क्रिमीनल शीघ्र सुनवाई सबंधी प्रकरण
02	"अ"- श्रीमती कंचन सुब्बा 24 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर "ब"- श्री विश्वजीत शर्मा 24 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर	18.05.2021	तद्वै
03	"अ"- श्री विष्णु शर्मा 22 अपर	19.05.2021	तद्वै

	जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर		
	"ब" - श्री लीला लोचनी 20 अपर		
	जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर		
04	"अ" - श्री लीला लोचनी 20 अपर	20.05.2021	तदैव
	जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर		
	"ब" - श्री लीला लोचनी 20 अपर		
	जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर		
05	"अ" - श्री लीला लोचनी 20 अपर	21.05.2021	तदैव
	जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर		
	"ब" - श्री लीला लोचनी 20 अपर		
	जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर		
06	"अ" - श्रीमती लीला लोचनी 20 अपर	22.05.2021	तदैव
	जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर		
	"ब" - श्री लीला लोचनी 20 अपर		
	जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर		

तहसील मुख्यालय सिहोरा हेतु

क.	नाम अधिकारी	दिनांक	रिमार्क
01	श्री विक्रम सिंह, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिहोरा	17.05.2021 22.05.2021	1. अर्जेन्ट जमानत आवेदन पत्र के निराकरण 2. सिविल एवं किमीनल शीघ्र सुनवाई संबंधी प्रकरण

तहसील मुख्यालय पाटन हेतु

क्र.

नाम अधिकारी

- 01 श्री रामब्रेश यादव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाटन के दिनांक 17.05.2021 से 29.05.2021 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पर होने के कारण लॉकडाउन अवधि दिनांक 17.05.2021 से 22.05.2021 तक उनके न्यायालय से संबंधित अर्जेंट जमानत आवेदन पत्र एवं सिविल/किमीनल प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई हेतु उपर वर्णित तालिका में अ के समक्ष अंकित न्यायाधीश सुनवाई करेंगे।

नोट:-

01. विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी) जबलपुर के न्यायालय से संबंधित जमानत आवेदन पत्रों/अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी) के द्वारा ही की जावेगी।
02. दिनांक 17.05.2021 से दिनांक 22.05.2021 की अवधि में प्राप्त होने वाले आवेदन/प्रकरणों की सुनवाई मुख्यालय से संबंधित तालिका में "अ" स्थान पर दर्शित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समसंख्या के आधार पर की जावेगी।
03. दिनांक 17.05.2021 से दिनांक 22.05.2021 की अवधि में प्राप्त होने वाले आवेदन/प्रकरणों की सुनवाई मुख्यालय से संबंधित तालिका में "ब" स्थान पर दर्शित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा विषम संख्या के आधार पर की जावेगी।
04. एक ही घटना से उदभूत प्रकरण/जमानत आवेदन की सुनवाई प्रथम बार प्रस्तुत आवेदन के आधार पर की जावेगी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

जबलपुर, दिनांक-16 मई 2021

पृष्ठा क्र-क्यू/कोरोना/दो-12-11/2020
प्रतिलिपि:-

01. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर।
02. समस्त संबंधित न्यायाधीशगण।
03. कलेक्टर जबलपुर।
04. पुलिस अधीक्षक जबलपुर।
05. जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर।
06. कमिश्नर, नगर निगम जबलपुर।
07. अध्यक्ष/सचिव जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर।
08. अध्यक्ष/सचिव तहसील अधिवक्ता संघ पाटन/सिहोरा
09. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जबलपुर।
10. प्रभारी अधिकारी नजारत, कम्प्युटर अनुभाग/जूनियर सिस्टम एनालिस्ट जबलपुर की ओर संबंधित न्यायिक अधिकारीगण को ई-मेल पर सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)